फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी :– सुरेश | विपक्षी :–मदनलाल

स्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 78/23

मांक | कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 10 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 11 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्राथी की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धाकडो का खेडा, पटवार हल्का लुणदा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 155 की आराजी नम्बर 79 किता 1 रकबा 0.4400 हैक्टयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार कानोड को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि [illegible] मि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु [illegible] से राहत प्रदान करें। तहसीलदार इस बात की सुनिश्चितता करें कि [illegible] के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:50:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।